न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 03 / 2023

राज.सरकार जरिये पवन अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री भगवानसिंह पुत्र नरोत्तम जाति पुजारी, निवासी ग्रांम भैंसा उच्चैन भरतपुर

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार रसद

निर्णय **दिनांक 25–10–2024**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.8.2023 को जिला रसद अधिकारी के निर्देशों की पालना में हीरादास बस स्टेण्ड के पास पार्किंग में जांच हेतु पहुंचे, मौके पर बीपीसीएल के 14.2 किग्रा भराव क्षमता का 01 घरेलू गैस सिलेण्डर जो इलैक्ट्रोनिक कांटे पर उल्टा रखा हुआ मौजूद पाया, तथा यह गैर आईएसआई मार्का रेग्यूलेटर नली की सहायता से द्रवित पैट्रलियम गैस हस्तान्तरण हेतु उपयोग में आने वाली विधुत मोटर से जुडा हुआ पाया गया। मौके पर विधुत मोटर मैस्कोट मार्का की तथा 18 घरेलू गैस सिलेण्डरों के प्लास्टिक के ढक्कन भी मौके पर उपलब्ध मिले। एक घरेलू गैस सिलेण्डर में 3.6 किग्रा एलपीजी गैस भरी हुई पाई गई। मौके पर शहीद पुत्र मुन्ना जाति मुसलमान जिसका ऑटो संख्या आरजे05पीए 3945 है उसमें कई बार 100 रुपये प्रति किग्रा की दर से भगवान सिंह से अपने ऑटों में एलपीजी डलवाना बताया इसी प्रकार फूलसिंह पुत्र रामसिंह जाति प्रजापत निवासी ऑटो संख्या आरजे05 पीए 2938 ने भी 100 रुपये प्रति किग्रा की दर से भगवानसिंह से अपने ऑटो में एलपीजी डलवाना बताया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रुप से एलपीजी गैस का स्थानान्तरण करने का कृत्य प्रकट हुआ। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3,4 व 6 का उल्लंघन होने के कारण एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी एक नली एक नॉन आईएसआई रेग्यूलेटर मय नली, एक विधुत मोटर एवं 18 प्लास्टिक ढक्कनों का वजह सबूत जप्त किया गया। जप्त किये गये उक्त सामान को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र/03/2023
प्रवर्तन अधिकारी रसद बनाम भगवानसिंह

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित आया। बाद में अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आया है ऐसी स्थिति में पैरोकार सरकार रसद की इकतरफा में बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि वक्त जांच हीरादास बस स्टेण्ड के पास पार्किंग में मौके पर बीपीसीएल के 14.2 किग्रा भराव क्षमता का 01 घरेलू गैस सिलेण्डर जो इलैक्ट्रोनिक कांटे पर उल्टा रखा हुआ मौजूद पाया, तथा यह गैर आईएसआई मार्का रेग्यूलेटर नली की सहायता से द्रवित पैट्रलियम गैस हस्तान्तरण हेतु उपयोग में आने वाली विधुत मोटर से जुडा हुआ पाया गया। मौके पर अप्रार्थी का घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रुप से एलपीजी गैस का स्थानान्तरण करने का कृत्य प्रकट हुआ। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3,4 व 6 का उल्लंघन होने के कारण एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी एक नली एक नॉन आईएसआई रेग्यूलेटर मय नली, एक विधुत मोटर एवं 18 प्लास्टिक ढक्कनों राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी से मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रुप से एलपीजी गैस का स्थानान्तरण करने का कृत्य प्रकट हुआ। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3,4 व 6 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी एक नली एक नॉन आईएसआई रेग्यूलेटर मय नली, एक विधुत मोटर एवं 18 प्लास्टिक ढक्कनों राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी एक नली एक नॉन आईएसआई रेग्यूलेटर मय नली, एक विधुत मोटर एवं 18 प्लास्टिक ढक्कनों को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल को वीपीसीएल कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 03 / 2023
प्रवर्तन अधिकारी रसद बनाम भगवानसिंह

कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। शेष जप्त सामान एलपीजी एक नली एक नॉन आईएसआई रेग्यूलेटर मय नली, एक विधुत मोटर एवं 18 प्लास्टिक ढक्कनों को नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर